Sixteenth Loksabha

an>

Title: The Motion for the consideration of The New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2018 (Motion adopted and Bill passed).

विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि सांस्थानिक माध्यस्थम् के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था का सृजन करने के उद्देश्य के लिए और अंतर्राष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केन्द्र के उपक्रमों के अर्जन और अंतरण के लिए तथा ऐसे उपक्रमों को माध्यस्थम् के बेहतर प्रबंधन के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र में निहित करने के प्रयोजनों के लिए, जिससे उसे सांस्थानिक माध्यस्थम् का हब बनाया जा सके, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र को एक राष्ट्रीय महत्ता की संस्था घोषित किया जा सके, की स्थापना और निगमन तथा उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, यह बहुत ही छोटा बिल है। दिल्ली में एक न्यू दिल्ली आर्बिट्रेशन सेंटर है। इसको भारत सरकार ने अब तीस करोड़ रुपये दिए हैं, आर्बिट्रेशन के लिए जमीन दी थी। यह संस्था किस प्रकार से काम करती है, आप देख लें। वर्ष 1995 से आज तक सिर्फ 50-51 आर्बिट्रेशन किया है। मैं माननीय राज्य मंत्री मेघवाल जी और तोमर जी को बता रहा था, वर्ष 2013-14 में एक आर्बिट्रेशन, 2014-15 में दो और 2015-16 में एक, काम धाम कुछ नहीं, सिर्फ दुरुपयोग। भारत के प्रधान मंत्री की इच्छा है कि भारत आर्बिट्रेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर बने। हम कानून के माध्यम से क्या कर रहे हैं। हम इसकी

अंडरटेकिंग को ले रहे हैं संस्था को नहीं ले रहे हैं। संस्था अलग रहेगी, हम इसकी अंडरटेकिंग को टेकओवर कर रहे हैं संस्था को नहीं ले रहे हैं, संस्था अलग रहेगी। न्यू दिल्ली आर्बिट्रेशन सेंटर को दुनिया के स्तर आर्बिट्रेशन सेंटर बनाएंगे, इसके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, आर्बिट्रेशन के इंटरनेशनल एक्सपटर्स इसमें काम करेंगे और क्वालिटी के आर्बिट्रेटर नई दिल्ली में बैठेंगे और उच्च स्तरीय आर्बिट्रेशन होगा, यही कुल मिलाकर है। इसके अलावा, हमने अलग से एक कानून आर्बिट्रेशन काउन्सिल ऑफ इंडिया पारित किया है। उसमें हम क्वालिटी के आर्बिट्रेटर को लाएंगे, हम बाकायदा ऑडिट करेंगे। देश में वैकल्पिक विकास के लिए एक अच्छा आर्बिट्रेशन के रूप में हो, एक्सेस टू जस्टिस में यह बहुत जरूरी है कि आर्बिट्रेशन के माध्यम से विवादों का निपटारा करें। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को हमारी कोशिश है कि इसके बाद हम एक वर्ल्ड क्लास आर्बिट्रेशन सेंटर बनाएं, आज सिंगापुर बन रहा है, हांगकांग बन रहा है, लंदन बन रहा है। हिन्दुस्तान विकासशील देश बन रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है। यहां भी एक बहुत बढ़िया आर्बिट्रेशन सेंटर हो, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई विरोध होगा क्योंकि यह देश के विकास के लिए है, अत: मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि यह बहुत छोटा विधेयक है, लेकिन यह देश के विकास के लिए है। मेरे ख्याल में विपक्ष हो या कोई हों, सभी यह मानेंगे कि भारत के विकास के लिए आर्बिट्रेशन आगे बढ़े ताकि विवादों का निपटारा हो और वर्ल्ड क्लास आर्बिट्रेशन यहां हो, यहां विदेशी कंपनियां भी यहां आएं और काम करें, निवेश आएं, माननीय अनुराग जी ने सही कहा कि विदेशी कंपनियां आती हैं और चाहती है कि आर्बिट्रेशन सेंटर बढ़िया हों। मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि सर्वनानुम्मति से इस बिल को पास किया जाए।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि सांस्थानिक माध्यस्थम् के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था का सृजन करने के उद्देश्य के लिए और अंतर्राष्ट्रीय

विकल्पी विवाद समाधान केन्द्र के उपक्रमों के अर्जन और अंतरण के लिए तथा ऐसे उपक्रमों को माध्यस्थम के बेहतर प्रबंधन के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र में निहित करने के प्रयोजनों के लिए, जिससे उसे सांस्थानिक माध्यस्थम् का हब बनाया जा सके, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र को एक राष्ट्रीय महत्ता की संस्था घोषित किया जा सके, की स्थापना और निगमन तथा उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, it is already six o'clock and practically the whole Opposition benches are empty. It is better we take it up on Monday.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): It is a very small Bill.

श्री भर्तृहरि महताब: सारी चीजें छोटी ही होती हैं, इसमें ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है। फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको सोमवार को लिया जाए।

माननीय सभापति : अगर सदन सहमत हो, तो महताब जी, यह बिल 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा।

श्री भर्तृहरि महताब : पर कहेगा कौन?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): सभापति जी, माननीय भर्तृहरि महताब जी बहुत वरिष्ठ सांसद हैं। हम सब चाहते हैं कि सदन ज्यादा से ज्यादा चले और बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में भी हमने सभी विषयों पर चर्चा करने की बात कही है। सरकार ने यह भी कहा है कि नियम 193 के अधीन जितनी चर्चाएं

करवानी है, करवा लीजिए और सरकार का जो बिजनेस है वह भी पास हो। मेरा आपसे आग्रह यही रहेगा, हम सब सदस्य यहां हैं, आप भी वरिष्ठ हैं, इतनी देर तक यहां पर बैठे हैं, तो जो लोग बैठे हैं, उनका लाभ उठाकर देश के हित में इसको पास किया जाए । मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया करके आप अपनी सहमति दें।

माननीय सभापति: जो सदस्य बैठे हैं, उनको धन्यवाद। विधेयक के पास होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए। धन्यवाद।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): मैं आदरणीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अपने कार्यकाल में देश के अंदर ज्यूडिशियल सिस्टम में वह एक क्रांति लेकर आए हैं और एक के बाद एक बहुत-से बिल उन्होंने देश की जनता के लिए पास कराएं हैं। इसी प्रकार का यह बिल नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का जो बिल आ रहा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। हालांकि 1996 में एक बिल के आधार पर हम काम कर रहे थे, लेकिन उसमें कई एनॉमलीज आयीं, उसके बाद 2015 में हमने उसमें थोड़े अमेंडमेंड्स किये। लेकिन, जिस प्रकार से आदरणीय मंत्री जी ने कहा है और भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपना यह संकल्प जाहिर किया है कि हम इंडिया को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का एक हब बनाना चाहते हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस बी.एन.श्रीकृष्ण जी की एक कमेटी बनाई गयी थी और उनकी भी बहुत सी रिक्मेंडेशन इस बारे में आयी थीं, जिनको आधार बनाकर आगे बढ़ने का काम किया गया। आज जिस प्रकार से डब्ल्यू.टी.ओ. सारे विश्व के लिए काम कर रहा है और भारत दुनिया की आज पांचवी नम्बर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी है। आने वाले समय में भी हम आर्थिक दृष्टि से बहुत-सी ऊंचाइयों को छुएंगे, इसलिए कुछ जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं, उन कमर्शियल डिस्प्यूट्स को समाधान करने के लिए बहुत ही हाई लेवल का बिल हमारे सामने इस सदन में रखा गया है, जिसके अंदर एक हाई लेवल के चेयरमैन की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और उसके जो मेम्बर्स होंगे, वे सब इंटरनेशनल रिप्यूट के सारे ज्यूरिस्ट होंगे, जो मिलकर, अपनी राय देकर इस बिल की

सफलता के लिए सब मिलकर काम करेंगे और भारत को एक आर्बिट्रेशन का हब बनाने के लिए काम करेंगे। इसलिए आदरणीय मंत्री जी जो बिल लाए हैं, मैं उसका दिल से समर्थन करता हूं । परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि मंत्री जी की उम्र लंबी हो और वे इसी प्रकार के राष्ट्र के जनकल्याणकारी फैसले करते रहें और देश आगे बढ़ता रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय कटारिया जी ने जो कहा, बहुत अनुभवी सांसद हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे प्रति विचारों के लिए। उन्होंने बहुत संक्षेप में भाषण दिया कि जस्टिस श्रीकृष्ण ने आर्बिट्रेशन पर एक व्यापक रिपोर्ट दी है और उनका भी एक निर्देश था, एक कानून पारित हो चुका है जिसके द्वारा इसको एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब बनाया जाए, यह उसी की अनुपालना में है। मैं आग्रह करूंगा कि आप निर्देश दें कि इस बिल को पारित किया जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि सांस्थानिक माध्यस्थम् के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था का सृजन करने के उद्देश्य के लिए और अंतर्राष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र के उपक्रमों के अर्जन और अंतरण के लिए तथा ऐसे उपक्रमों को माध्यस्थम् के बेहतर प्रबंधन के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र में निहित करने के प्रयोजनों के लिए, जिससे उसे सांस्थानिक माध्यस्थम् का हब बनाया जा सके, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र को एक राष्ट्रीय महत्ता की संस्था घोषित किया जा सके, की स्थापना और निगमन तथा उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति: अब इस बिल पर खण्डश: विचार किया जाएगा।

Clause 2 Definitions

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, डॉ. शशि थरूर और डॉ. ममताज़ संघमिता सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं खण्ड दो से चार सदन के वोट के लिए प्रस्तुत करूंगा।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 5 Composition of Centre

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 4, पंक्ति 13, "माध्यस्थम के संचालन" के पश्चात्

"विधि या प्रबंध" अंत:स्थापित करें।

(2)

पृष्ठ 4, पंक्ति 20, "विधि और न्याय मंत्रालय" के स्थान पर

"विधायी कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय " प्रतिस्थापित करें। (3)

पृष्ठ 4, पंक्ति 22, "वित्त मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट" के स्थान पर

"व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट " प्रतिस्थापित करें।

(4)

(श्री रवि शंकर प्रसाद)

माननीय सभापतिः प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5, यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6 से 34 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 1 Short title and commencement

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 6, -

"अधिनियम 2018" के स्थान पर

"अधिनियम 2019" प्रतिस्थापित करें।

(22)

(श्री रवि शंकर प्रसाद)

माननीय सभापतिः प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Enacting Formula

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 27, "अड़सठवें" के स्थान पर

"उनहत्तरवें" प्रतिस्थापित करें।

(1)

(श्री रवि शंकर प्रसाद)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय सभापति : अब मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथासंशोधित पारित किया जाए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सभापति महोदय, आपकी कृपा, अनुमति और सहमति से, मैं प्रस्ताव करता हूं :

“कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।”

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“ कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : सदन की कार्यवाही सोमवार, 7 जनवरी, 2019 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>18 10 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on

Monday, January 7, 2019/Pausha 17, 1940 (Saka).

---

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

** Starred Question Nos. 353, 357 and Unstarred Question Nos. 3912, 3913, 3926, 3933, 3936, 3949, 3950, 3960, 3961, 3966, 3971, 3977, 3987, 3992, 3993, 4001, 4015,

4020, 4042, 4044, 4080, 4119, 4127, 4131 and 4132 were deleted due to suspension of Members from the services of the House under Rule 374A.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded

* Not recorded.

* Not recorded

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded.